

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2017–18

वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक)


अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	विभाग का संगठनात्मक ढांचा	1
2.	स्वीकृत-कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण	3
3.	विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना	5
4.	आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियां	8
5.	सार संक्षेप	13
6.	परिशिष्ट (डिपो की सूची)	14

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर

1. विभाग का संगठनात्मक ढांचा एवं परिचय:—

- 1.1 निगम में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के अतिरिक्त दिन-प्रतिदिन के कार्य संचालन हेतु कार्यकारी निदेशक, महाप्रबन्धक (प्रशासन), महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा) एवं महाप्रबन्धक(ऑपरेशन) के पद स्वीकृत हैं। महाप्रबन्धक (प्रशासन) के सहयोग के लिए उपमहाप्रबन्धक (एम.आई.एस) तथा प्रबन्धक (प्रशासन), प्रबन्धक(विधि), महाप्रबन्धक (ऑपरेशन) के सहयोग के लिए प्रबन्धक (ऑपरेशन) महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) के सहयोग के लिए प्रबन्धक(वित्त), प्रबन्धक(लेखा) इत्यादि पद स्वीकृत हैं। राज्य के 33 जिलों में 40 डिपोज कार्यरत है (डिपो की सूची परिशिष्ट- 1 पर संलग्न है)। प्रत्येक डिपो पर एक पद डिपो मैनेजर, एक पद क0 लेखाकार एवं 2 पद सुपरवाइजर के स्वीकृत हैं।



- 1.2 राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का गठन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में किया गया। इस निगम को भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के क्रय एवं विक्रय का एकाधिकार दिया गया। निगम का गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत हुआ। निगम ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियां दिनांक 01.04.2005 से प्रारम्भ की।
- 1.3 निगम द्वारा वर्ष 2017-18 में (31 दिसम्बर 2017 तक) 40 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत कुल 346 ब्राण्डस की दरों का अनुमोदन किया गया। दर अनुमोदन हेतु आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत/घोषित एक्स डिस्टीलरी/एक्स ब्रुअरी प्राइस को आधार मानते हुए उसमें आबकारी शुल्क, अतिरिक्त आबकारी शुल्क एवं निगम का मार्जिन 0.50% जोड़ते हुए ब्राण्ड विशेष का विक्रय मूल्य निगम द्वारा निर्धारित किया गया है।
- 1.4 निगम द्वारा अनुमोदित ब्राण्ड के विक्रय मूल्य में परमिट फीस, वेण्ड फीस (केवल बीयर में) वेट एवं खुदरा विक्रेता/अनुज्ञाधारी का मार्जिन (IMFL-बोतल/अद्वे पर 20% एवं पक्वे पर 22% तथा बीयर में 22%) जोड़ते हुए अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य का निर्धारण किया गया है।
- 1.5 समस्त 346 ब्राण्डस् का विक्रय राज्य के 33 जिलों में स्थित 40 डिपोज के द्वारा खुदरा अनुज्ञाधारियों को किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिसम्बर 2017 तक के दौरान 4323.95 करोड़ रुपये की भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर का विक्रय किया गया।
- 1.6 सप्ताह के गुरुवार से बुधवार के मध्य राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में स्थित डिपोज के माध्यम से विक्रित मदिरा एवं बीयर का भुगतान सम्बन्धित निर्माताओं/सप्लायर्स को आगामी सोमवार को मुख्यालय द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जाता है।
- 1.7 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निगम द्वारा एकत्रित 0.33% मुनाफा (मार्जिन मनी) एवं अतिरिक्त मार्जिन मनी में से राज्य सरकार को 229.00 लाख रूपए अनुज्ञा शुल्क मय आवेदन शुल्क, 2500.00 लाख रूपए प्रिविलेज शुल्क एवं 500.00 लाख रूपए मुख्यमंत्री सहायता कोष के रूप में भुगतान किया गया।
- 1.8 इस प्रकार निगम के गठन के परिणाम-स्वरूप जहाँ राज्य सरकार को अनुज्ञा शुल्क एवं आबकारी शुल्क वसूली का लक्ष्य प्राप्त हुआ, वहीं दूसरी ओर पूरे राज्य में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के मूल्यों में एकरूपता बनी रही।

2. स्वीकृत-कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण:-

- 2.1 राजस्थान में निगम का मुख्यालय जनपथ, "डी" ब्लॉक, प्रथम तल, वित्त भवन, जयपुर में अवस्थित है।
- 2.2 शासन सचिव, वित्त(राजस्व) निगम के अध्यक्ष हैं। आबकारी आयुक्त निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं विभागाध्यक्ष हैं।
- 2.3 निगम में दिन-प्रतिदिन का कार्य संचालन के लिए कार्यकारी निदेशक का पद है। इसके अतिरिक्त निगम में विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए निम्न अधिकारी पदस्थापित हैं:-
- (I) महाप्रबंधक (प्रशासन) (II) महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(III) महाप्रबंधक (ऑपरेशन)
- 2.4 महाप्रबंधक (प्रशासन) के सहयोग के लिए उपमहाप्रबंधक (एम.आई.एस) तथा प्रबंधक (प्रशासन), प्रबंधक(विधि), महाप्रबंधक (ऑपरेशन) के सहयोग के लिए प्रबंधक (ऑपरेशन) महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) के सहयोग के लिए प्रबंधक(वित्त), प्रबंधक(लेखा) इत्यादि पद स्वीकृत हैं।
- 2.5 राज्य के 33 जिलों में 40 डिपोज कार्यरत है। प्रत्येक डिपो पर 4 अधिकारी/ कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं:-
1. डिपो मैनेजर
 2. क0 लेखाकार
 3. सुपरवाइजर (संख्या-2)
- 2.6 निगम में सभी स्वीकृत पदों को राजकीय निर्णयानुसार प्रतिनियुक्ति से भरा जाता है। निगम में स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पद का नाम	वेतन श्रृंखला		स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
		पे ब्रेण्ड	ग्रेड पे			
1.	प्रबन्ध निदेशक एवं आबकारी आयुक्त, IAS	-	-	1	1	0
2.	कार्यकारी निदेशक, RAS	37400-67000	9500	1	1	0
3.	महाप्रबंधक (प्रशासन)	37400-67000	8700	1	0	1
4.	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) वित्तीय सलाहकार, R.Ac.S	37400-67000	8700	1	1	0
5.	महाप्रबंधक (ऑपरेशन) वित्तीय सलाहकार, R.Ac.S	37400-67000	8700	1	1	0
6.	उप महाप्रबंधक	15600-39100	6600 (17)	2	0	2
7.	मैनेजर	15600-39100	6000 (16) 5400 (15)	8	7	1
8.	कम्पनी सैक्रेटरी	-	-	1	1	0
9.	सहा. प्रबन्धक	9300-34800 पे बैंड-1	4800 (14)	4	3	1
10.	डिपो मैनेजर	9300-34800 पे बैंड-1	4800 (14)	42	37	5
11.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II	9300-34800 पे बैंड-1	4200 (12)	3	1	2
12.	निजी सहायक/निजी सचिव	9300-34800 पे बैंड-1	3600 (11)	5	5	0

13.	कनिष्ठ लेखाकार	9300-34800 पे बैंड-1	3600 (11)	48	43	05
14.	सुपरवाइजर/ क0 लिपिक	5200-20200 पे बैंड-1	2800 (10) 2400 (9)	86	70	16
15.	मंत्रालयिक कर्मचारी (वरिष्ठ लिपिक/ कनिष्ठ लिपिक)	5200-20200 पे बैंड-1	2800 (10) 2400 (9)	10	10	0
16.	सूचना सहायक	5200-20200 पे बैंड-1	2800 (10)	10	8	2
17.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	1700 (2)	9	4	5
कुल				233	193	40

3 विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना:-

3.1 वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 (दिसम्बर 17) तक के दौरान भा.नि.वि.म. एवं बीयर के कॉर्टन बॉक्स की बिक्री का मासिक विवरण निम्नानुसार है:-

(संख्या लाख केसेज में)

माह	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18 (दिसम्बर 2017)		वृद्धि / कमी (प्रतिशत में) 2017-18	
	बीयर	आईएमएफ एल	बीयर	आईएमएफ एल	बीयर	आईएमएफ एल	बीयर	आईएमएफ एल	बीयर	आईएमएफ एल
अप्रैल	25.11	11.48	23.31	8.00	30.59	10.39	28.33	9.40	-7.39	-9.53
मई	32.52	11.19	32.84	9.42	31.68	8.30	37.47	9.45	18.28	13.86
जून	28.10	8.83	29.13	9.35	29.15	8.28	30.84	8.70	5.80	5.07
जुलाई	23.50	8.77	20.11	7.61	20.78	7.30	20.37	6.88	-1.97	-5.75
अगस्त	19.00	8.11	16.32	7.80	16.84	7.50	19.19	7.50	13.95	0.00
सितम्बर	14.54	8.08	18.65	8.09	19.01	8.04	20.14	8.32	5.94	3.48
अक्टूबर	17.92	8.83	18.20	8.28	16.54	7.62	22.96	8.49	38.81	11.42
नवम्बर	15.23	9.90	18.72	10.27	17.56	9.62	18.32	9.48	4.33	-1.46
दिसम्बर	12.44	10.81	13.77	11.31	15.67	10.16	15.25	11.37	-2.68	11.91
जनवरी	11.57	9.76	11.86	8.62	9.36	7.72				
फरवरी	15.37	7.83	13.91	6.48	13.63	6.54				
मार्च	24.31	10.44	26.09	8.63	23.49	7.15				
योग	239.61	114.03	242.91	103.86	244.30	98.62				

3.2 वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 (दिसम्बर 17) तक के दौरान भा.नि.वि.म. एवं बीयर की कुल विक्रय राशि का मासिक विवरण निम्नानुसार है:-

(विक्रय राशि करोड रूपए में)

माह	माह के दौरान					माह तक				
	14-15	15-16	16-17	17-18	वृद्धि / कमी (प्रतिशत में) 2017-18	14-15	15-16	16-17	17-18	वृद्धि / कमी (प्रतिशत में) 2017-18
अप्रैल	433.16	382.47	551.38	527.75	-4.29	433.16	382.47	551.38	527.75	-4.29
मई	471.85	487.59	494.48	599.13	21.17	905.01	870.06	1,045.86	1,126.88	7.75
जून	390.28	461.38	474.13	524.16	10.56	1,295.29	1,331.44	1,519.99	1,651.04	8.63
जुलाई	363.82	355.32	388.16	386.58	-0.41	1,659.11	1,686.76	1,908.15	2,037.62	6.79
अगस्त	332.60	335.23	365.41	402.24	10.08	1,991.71	2,021.99	2,273.56	2,439.86	7.32
सितम्बर	318.86	361.98	400.92	437.69	9.18	2,310.57	2,383.97	2,674.48	2,877.55	7.60
अक्टूबर	366.73	366.23	368.75	467.39	26.75	2,677.30	2,750.20	3,043.23	3,344.94	9.92
नवम्बर	372.33	428.06	442.85	465.26	5.06	3,049.63	3,178.26	3,486.08	3,810.20	9.30
दिसम्बर	387.23	427.91	449.50	513.75	14.30	3,436.86	3,606.17	3,935.58	4,323.95	9.87
जनवरी	341.14	327.25	312.84			3,778.00	3,933.42	4,248.42		
फरवरी	323.76	286.59	311.58			4,101.76	4,220.01	4,560.00		
मार्च	456.89	432.12	402.32			4,558.65	4,652.13	4,962.32		

3.3 निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 (31, दिसम्बर, 2016 तक) तक 2531.53 करोड़ रु. व 2017-18 में (31, दिसम्बर, 17 तक) 2731.14 करोड़ रु. का आबकारी शुल्क एवं अतिरिक्त आबकारी शुल्क, विदेशी मदिरा व बीयर के ओ0एफ0एस0 जारी करने के परिणामस्वरूप एकत्र किया गया है। इस मद में 7.88% की वृद्धि हुई है। विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) निर्गमित बीयर की आपूर्ति के आदेश

(संख्या लाख केसेज में)

माह	माह के दौरान					माह तक				
	14-15	15-16	16-17	17-18 (31, दिसम्बर, 2017 तक)	वृद्धि %	14-15	15-16	16-17	17-18 (31, दिसम्बर, 2017 तक)	वृद्धि %
					2017-18					2017-18
अप्रैल	27.9	29.42	29.24	29.35	0.38	27.9	29.42	29.24	29.35	0.38
मई	25.15	32.36	27.16	37.09	36.56	53.05	61.78	56.4	66.44	17.80
जून	31.34	28.06	30.8	28.61	-7.11	84.39	89.84	87.2	95.05	9.00
जुलाई	23.45	18.75	23.93	21.79	-8.94	107.84	108.59	111.13	116.84	5.14
अगस्त	17.47	14.27	17.76	16.65	-6.25	125.31	122.86	128.89	133.49	3.57
सितम्बर	17.08	17.86	16.07	18.02	12.13	142.39	140.72	144.96	151.51	4.52
अक्टूबर	16.78	19.21	17.18	22.02	28.17	159.17	159.93	162.14	173.53	7.02
नवम्बर	14.4	16.92	14.50	18.56	28.00	173.57	176.85	176.64	192.09	8.75
दिसम्बर	12.17	13.03	13.62	11.99	-11.97	185.74	189.88	190.26	204.08	7.26
जनवरी	11.14	14.29	11.38			196.88	204.17	201.64		
फरवरी	20.69	18.2	20.22			217.57	222.37	221.86		
मार्च	23.45	26.75	24.19			241.02	249.12	246.05		
योग	241.02	249.12	246.05			241.02	249.12	246.05		

(ब) निर्गमित भारत निर्मित विदेशी मदिरा की आपूर्ति के आदेश

(संख्या लाख केसेज में)

माह	माह के दौरान					माह तक				
	14-15	15-16	16-17	17-18 (31, दिसम्बर, 2017 तक)	वृद्धि %	14-15	15-16	16-17	17-18 (31, दिसम्बर, 2017 तक)	वृद्धि %
					2017-18					2017-18
अप्रैल	10.34	9.04	9.01	6.78	-24.75	10.34	9.04	9.01	6.78	-24.75
मई	12.36	9.55	9.38	9.24	-1.49	22.7	18.59	18.39	16.02	-12.89
जून	8.65	9.46	7.52	8.64	14.89	31.35	28.05	25.91	24.66	-4.82
जुलाई	8.55	7.82	7.5	7.52	0.27	39.9	35.87	33.41	32.18	-3.68
अगस्त	8.35	7.9	7.14	7.61	6.58	48.25	43.77	40.55	39.79	-1.87
सितम्बर	9.25	9.55	7.62	7.14	-6.30	57.5	53.32	48.17	46.93	-2.57
अक्टूबर	8.68	8.78	9.19	8.78	-4.46	66.18	62.1	57.36	55.71	-2.88
नवम्बर	10.18	9.32	9.26	9.91	7.02	76.36	71.42	66.62	65.62	-1.50
दिसम्बर	11.48	12.19	10.29	11.15	8.36	87.84	83.61	76.91	76.77	-0.18
जनवरी	9.52	9.24	7.37			97.36	92.85	84.28		
फरवरी	8.91	8.08	6.63			106.27	100.93	90.91		
मार्च	8.72	8.04	8.66			114.99	108.97	99.57		
योग	114.99	108.97	99.57			114.99	108.97	99.57		

(स) आबकारी शुल्क, आपूर्ति के आदेश के अनुसार

(राशि करोड रूपए में)

माह	माह के दौरान					माह तक				
	14-15	15-16	16-17	17-18 (31, दिसम्बर, 2017 तक)	वृद्धि %	14-15	15-16	16-17	17-18 (31, दिसम्बर, 2017 तक)	वृद्धि %
					2017-18					2017-18
अप्रैल	277.15	290.02	323.95	288.64	-10.90	277.15	290.02	323.95	288.64	-10.90
मई	299.84	311.43	325.54	388.47	19.33	576.99	601.45	649.49	677.11	4.25
जून	262.69	289.53	305.59	329.15	7.71	839.68	890.98	955.08	1006.26	5.36
जुलाई	235.08	228.28	268.54	275.69	2.66	1074.76	1119.26	1223.62	1281.95	4.77
अगस्त	212.26	208.91	237.84	254.47	6.99	1287.02	1328.17	1461.46	1536.42	5.13
सितम्बर	239.7	260.55	240.47	253.59	5.46	1526.72	1588.72	1701.93	1790.01	5.18
अक्टूबर	232.86	248.27	277.17	309.89	11.81	1759.58	1836.99	1979.10	2099.9	6.10
नवम्बर	249.48	250.55	264.62	316.16	19.48	2009.06	2087.54	2243.72	2416.06	7.68
दिसम्बर	263.66	288.89	287.81	315.08	9.48	2272.72	2376.43	2531.53	2731.14	7.88
जनवरी	220.43	237.67	209.93			2493.15	2614.1	2741.46		
फरवरी	250.41	230.13	238.03			2743.56	2844.23	2979.49		
मार्च	262.21	269.62	300.80			3005.77	3113.85	3280.29		
योग	3005.77	3113.85	3280.29			3005.77	3113.85	3280.29		

4. आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियां:-

4.1 न्यायिक प्रकरणों की स्थिति :-

4.1.1 निगम के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन लम्बित प्रकरणों को निगम मुख्यालय पर विधि शाखा द्वारा सुपरविजन किया जाता है साथ ही ऐसे प्रकरणों की समीक्षा संयुक्त विधि परामर्शी (विधि प्रकोष्ठ) वित्त विभाग द्वारा की जाती है। निगम से सम्बन्धित सभी प्रकरणों को न्याय विभाग की अधिकृत वेबसाईट 'लाइट्स' में लगातार अपडेट एवं वेलीडेट किया जाता है।

4.1.2 दिनांक 31.12.2017 को लम्बित न्यायिक प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	प्रकरणों का विवरण	न्यायालय					
		उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय जयपुर, जोधपुर में विचाराधीन		सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली	अधीनस्थ, श्रम, उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय एवं अन्य न्यायालय	योग
			जयपुर	जोधपुर			
1.	विचाराधीन / ड्यू कॉर्स	शून्य	37	02	01	16	56
2.	जवाब पेश करना शेष	—	01	—	—	01	02
3.	निर्णय की क्रियान्विति	—	—	—	—	—	—
4.	अवमानना प्रकरण	—	—	—	—	—	—
5.	निर्णित प्रकरण	—	03	—	—	—	03

4.2 अन्य प्रमुख बिन्दु :-

4.2.1 वित्तीय वर्ष 2005-06 में निगम के 105 थोक विक्रेताओं की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 (दिसम्बर 17 तक) में निगम ने 40 निर्माताओं एवं लगभग 7241 खुदरा व्यापारियों से सीधे व्यवसाय किया है।

4.2.2 वित्तीय वर्ष 2006-07 से निगम की समस्त व्यावसायिक गतिविधियाँ ऑन-लाइन हो गई हैं जिसमें वैब आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग हो रहा है। संबंधित निर्माताओं/सप्लायर्स को साफ्टवेयर एक्सेस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसके अन्तर्गत आपूर्ति के आदेश, डिपो पर माल प्राप्ति, उनके उत्पादों की बिक्री और सप्ताह के दौरान प्राप्त होने वाले भुगतान के विवरण का आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सीधे अवलोकन किया जा सकता है।

4.2.3 खुदरा अनुज्ञाधारियों को एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निगम के डिपो प्रबंधकों को इनवाइस-कम ट्रान्सपोर्ट परमिट जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।

4.2.4 परमिट फीस, वेण्ड फीस/स्पेशल वेण्ड फीस/सरचार्ज आदि आबकारी विभाग के लिए निगम द्वारा एकत्र कर राज्य सरकार को जमा करवाया जाता है।

4.3 निगम का टर्नओवर (Turn over) :-

निगम के प्रारम्भिक वर्ष 2005-06 में बिक्री 734.19 करोड़ रूपए थी जो 2016-17 तक बढ़कर 4962.29 करोड़ रूपए हो गई तथा वर्ष 2017-18 (दिसम्बर 2017 तक) के दौरान बिक्री राशि 4323.95 करोड़ रूपए है। बिक्री का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	वार्षिक बिक्री (राशि करोडो में)	% वृद्धि
2005-06	734.19	-
2006-07	1003.07	36.62
2007-08	1302.72	29.87
2008-09	1597.54	22.63
2009-10	1569.47	(-) 1.75
2010-11	1842.29	17.38
2011-12	2572.40	39.63
2012-13	3122.12	21.36
2013-14	3539.35	13.36
2014-15	4558.65	28.80
2015-16	4652.14	02.05
2016-17	4962.29	06.67
2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)	4323.95	----

4.4. निगम का वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 (दिसम्बर 2017 तक) का मदवार आय एवं व्यय विवरण :-

(राशि लाख रूपए में)

वित्तीय वर्ष	2014-15 (वास्तविक)	2015-16 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (दिसम्बर 2017 तक) Unaudited
आय मद				
1. सकल आय	2686.09	2026.23	5440.52	4833.01
2. ब्याज	1976.89	1559.04	1638.73	1076.00
3. डेमरेज की आय	683.89	750.92	757.60	553.75
4. अन्य आय	217.69	234.69	394.98	330.00
योग (आय)	5564.56	4570.88	8231.83	6792.76
व्यय मद				
1. प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	1779.16	1910.18	2071.73	1529.00
2. प्रबन्धकीय पारिश्रमिक	22.46	15.65	38.18	
3. वित्तीय व्यय				
(i) हास	48.61	42.54	25.79	--
(ii) राज्य सरकार को प्रदत्त/देय प्रिविलेज फीस	1500.00	1000.00	2500.00	--
(iii) राज्य सरकार को प्रदत्त लाईसैंस फीस	229.00	261.80	229.00	324.00
(iv) राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष	--	--	500.00	--
योग (व्यय)	3579.23	3230.17	5364.70	1853.00
लाभ	1985.33	1340.71	2867.13	4939.76

4.5. ई-गवर्नेस :-

4.5.1 निगम में कम्प्यूटराईजेशन 1 अप्रैल, 2006 से लागू किया जा चुका है। इस हेतु निगम मुख्यालय तथा समस्त डिपो पर कम्प्यूटर मय प्रिंटर, यू.पी.एस., इन्टरनेट कनेक्टिविटी, इनवर्टर्स व जेनरेटर सहित उपलब्ध है। निगम अपने व्यवसायिक कार्य इन्टिग्रेटेड वेब बेस्ड ऑन-लाईन सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर पर निगम के अतिरिक्त निगम के मदिरा/बीयर के आपूर्तिकर्ताओं एवं अनुज्ञापत्रधारकों को भी लॉगइन उपलब्ध कराये गए हैं। इस प्रकार निगम में कार्यों का सम्पादन पूर्ण पारदर्शिता के साथ त्वरित गति एवं न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप से किया जाता है। निगम के वित्तीय व्यवहारों को भी अधिकतम स्तर पर ऑनलाइन माध्यमों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर के आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान भी सम्मिलित हैं। उक्त सॉफ्टवेयर द्वारा सम्पादित किए जा रहे कार्यों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

4.5.2 डिपो स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्य :-

- i मदिरा स्टॉक का बैचवाइज संधारण।
- ii प्रतिदिन प्राप्त होने वाली मदिरा का स्टॉक में इन्द्राज।
- iii लाईसैंसी द्वारा प्रस्तुत बैंक चालान का इन्द्राज।
- iv लाईसैंसी की मांग के अनुसार 'इन्वाइस कम ट्रांसपोर्ट पास' जारी करना।
- v. दिन-प्रतिदिन की क्षति का इन्द्राज।
- vi. बैंक चालान का अंक-मिलान कर बैंक समाशोधन।
- vii. प्रत्येक लाईसैंसी के लेजर का संधारण।
- viii मदिरा का अन्तर-डिपो ट्रांसफर।

4.5.3 मुख्यालय स्तर पर संधारित होने वाले कार्य :-

- i. मदिरा आपूर्ति हेतु डिजिटल हस्ताक्षरित आदेश (OFS) ऑन-लाइन जारी करना।
- ii. मदिरा के अन्तर-डिपो ट्रांसफर हेतु हस्ताक्षरित आदेश (TOO) ऑनलाइन जारी करना।
- iii. क्रय आदेशों का ऑनलाइन अवधि विस्तार करना।
- iv. मदिरा की बिक्री उपरान्त सप्लायर्स को किये जाने वाले साप्ताहिक भुगतान का विवरण पत्र।
- v. लाईसैंसियों से प्राप्त स्रोत से कर संग्रहण (TCS) की संकलित सूचना प्राप्त कर आयकर विभाग में मासिक जमा कराना।
- vi. लाईसैंसियों से प्राप्त वेट राशि की संकलित सूचना प्राप्त कर वाणिज्य कर विभाग में मासिक जमा कराना।
- vii. लाईसैंसियों से प्राप्त आबकारी शुल्क (परमिट फीस, वेन्ड फीस तथा स्पेशल वेन्ड फीस) की संकलित सूचना प्राप्त कर आबकारी विभाग में जमा कराना।
- viii. निगम के बैंको से प्रतिदिन ई-मेल प्राप्त होने वाली निगम खाते में जमा की सूचना को सॉफ्टवेयर में अपलोड करना ताकि डिपो बैंक समाशोधन हेतु सूचना प्राप्त कर सके।
- ix. इनएक्टिव स्टॉक पेनल्टी की गणना कर सप्लायरों से वसूली करना।
- x. निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, उपार्जित अवकाश, एरियर, बोनस, वार्षिक वेतन वृद्धि आदि सम्बन्धित कार्य।

4.5.4 सप्लायर्स द्वारा सॉफ्टवेयर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्य :-

- i. सप्लायर्स आपूर्ति के आदेश (OFS) हेतु ऑन लाइन आवेदन तथा अनुमोदित आपूर्ति के आदेश (OFS) को प्रिंट करते हैं।
 - ii. सप्लायर्स ट्रांसफर आउट ऑर्डर (TOO) हेतु ऑन लाइन आवेदन तथा अनुमोदित ट्रांसफर आउट ऑर्डर को प्रिंट (TOO) करते हैं।
 - iii. उनके स्टॉक की डिपोवार सूचना।
 - iv. उनके ब्राण्डों की डिपोवार बिक्री की सूचना।
 - v. उन्हें जारी होने वाले आपूर्ति के आदेश (OFS) की सूचना।
 - vi. उन्हें जारी होने वाले ट्रांसफर आउट ऑर्डर (TOO) की सूचना।
 - vii. विभिन्न डिपो पर उनके ब्राण्डों की आवक की सूचना।
 - viii. उनके स्टॉक लेजर की सूचना।
 - ix. इनएक्टिव स्टॉक की गणना की सूचना
 - x. RSBCL को स्टॉक सप्लायर्स हेतु जारी बिलों की सूचना ऑनलाइन दर्ज करना
 - xi. OFS अथवा आबकारी विभाग द्वारा जारी परमितों की अवधि विस्तार हेतु ऑन लाइन आवेदन करना।
- 4.5.5 लाइसेंसी उक्त सॉफ्टवेयर का निम्न कार्य हेतु उपयोग करते हैं:-
- i. निगम से मदिरा खरीदने हेतु निगम के सॉफ्टवेयर से ऑन लाइन चालान बनाना।
 - ii. इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑन लाइन निगम खाते में राशि जमा कर ई-चालान प्राप्त करना।
 - iii. NEFT/RTGS के माध्यम से निगम के PNB खाते में राशि जमा कराना।
- 4.5.6 आबकारी विभाग, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड (RSGSM) तथा राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड (RSBCL) तीनों हेतु एक ही इन्टीग्रेटेड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित कर स्थापित किया गया है। इन्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के स्थापित होने से तीनों विभागों को एक-दूसरे से सम्बन्धित सूचनाएँ एक क्लिक पर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार को भी एक क्लिक पर तीनों विभागों की सूचनाएँ प्राप्त हो सकती हैं।
- 4.5.7 इन्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर हेतु अन्य कार्य सहित निम्नलिखित प्रमुख कार्य किये जा चुके हैं :-
- i. आबकारी आयुक्त कार्यालय, उदयपुर में एक डेटा सेन्टर स्थापित कर वहाँ से सॉफ्टवेयर चलाया जा रहा है।
 - ii. सेवा प्रदाता द्वारा सॉफ्टवेयर का प्रबन्धन तथा साज-संभाल की सेवाएँ दी जा रही हैं।
- 4.5.8 अधिकृत बैंकों के सॉफ्टवेयरों से निगम के सॉफ्टवेयर का एकीकरण किया गया है इससे लाइसेंसीज ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लाइसेंसियों द्वारा चालान के माध्यम से बैंकों में जमा कराई गई राशि की सूचना संबंधित डिपो पर ऑनलाइन ही प्रदर्शित हो जाती है।
- 4.5.9 लाइसेंसी NEFT/RTGS के माध्यम से भी निगम के अधिकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक में राशि जमा करवा सकते हैं। इस प्रकार के व्यवहारों की सूचना भी बैंक के सॉफ्टवेयर से निगम के सॉफ्टवेयर पर ऑन लाइन प्राप्त होती है।
- 4.5.10 सॉफ्टवेयर से एस.एम.एस. तथा ई-मेल द्वारा जहाँ आवश्यक है, संबंधितों को आवश्यक सूचनाएँ प्रेषित की जाती हैं।

4.6 लॉडिंग-अनलॉडिंग के टेण्डर

- 4.6.1 निगम के प्रारम्भ में IMFL/BEER की लॉडिंग/अनलॉडिंग का कार्य Liquor Sales Policy 2017 के बिन्दु संख्या 2.3 के अनुसार RSBCL गोदाम से अनलॉडिंग की जिम्मेदारी सम्बन्धित लाईसेन्सी की होने तथा बिन्दु संख्या 8.1 के अनुसार RSBCL गोदाम में अनलॉडिंग की जिम्मेदारी सम्बन्धित सप्लायर की होने से अब तक कार्य स्थानीय मजदूरों से करवाया जा रहा है, जिसका भुगतान डिपो स्तर पर लॉडिंग का लाईसेन्सी द्वारा तथा अनलॉडिंग का आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सीधे मजदूरों को करवाया जाता था।
- 4.6.2 श्रमिकों को उनकी पूरी मजदूरी मिले जो की न्यूनतम मजदूरी से कम न हो तथा डिपो स्तर पर नकद लेनदेन को खत्म करने एवं अधिकाधिक पारदर्शी व्यवस्था बन सकें इस उद्देश्य से निगम के समस्त डिपो में IMFL/BEER की लॉडिंग अनलॉडिंग कार्य ठेका के माध्यम से करवाने हेतु लिए निणर्यानुसार सभी डिपो हेतु संभागनुसार ऑनलाइन बिड आमंत्रित करते हुए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों के अनुसार फर्म को आदेश जारी किये गये।
- 4.6.3 इस प्रकार 6 संभाग हेतु जारी ठेका पद्धति से करवाये जाने वाले लॉडिंग, अनलॉडिंग कार्य से निगम को राशि रू. 4.54 करोड़ की वार्षिक आय सम्भावित होगी तथा जोधपुर संभाग के लिए पुनः बिड आमंत्रित की गई है, जो प्रक्रियाधीन हैं।
- 4.6.4 निगम के द्वारा उक्त कार्य ठेका प्रणाली से करवाने के लिए रू 2.50 प्रति कार्टन दर तय की गई थी, जिसकी वसूली लाईसेन्सी से इनवाईस के साथ की जा रही है तथा सप्लायर्स के साप्ताहिक भुगतान में से उक्त राशि का समायोजन कर लिया जायेगा तथा डिपो पर किसी भी प्रकार के लॉडिंग एवं अनलॉडिंग के पेटे नगद भुगतान को प्रतिबन्धित किया गया है।

5. सार संक्षेप
- 5.1 राजस्थान स्टेट बेवेरेज निगम लिमिटेड की स्थापन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत फरवरी 2005 में हुई थी। इस निगम को भा.नि.वि.म. के विक्रय का एकाधिकार राज्य सरकार द्वारा दिया गया। निगम ने 01.04.2005 से अपना व्यवसाय प्रारम्भ किया।
- 5.2 निगम में कार्यरत समस्त राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारी विभिन्न राजकीय विभाग/उपक्रम से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं।
- 5.3 आबकारी विभाग, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड (RSGSM) तथा राजस्थान राज्य बेवेरेजेज निगम लिमिटेड (RSBCL) तीनों हेतु एक ही इन्टीग्रेटेड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित कर स्थापित किया गया है। इन्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के स्थापित होने से तीनों विभागों को एक-दूसरे से सम्बन्धित सूचनाएँ उपलब्ध हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार को भी तीनों विभागों की सूचनाएँ प्राप्त हो सकती हैं।
- 5.4 निगम में समस्त व्यवसायिक कार्य इन्टीग्रेटेड वेबबेसड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित किया जाता है। निगम में सप्लायर आपूर्ति आदेश से लेकर मदिरा स्टॉक/मदिरा विक्रय का संधारण, लेजर संधारण, अंतर डिपो ट्रांसफर, स्ट्रोत पर कर संग्रहण, कार्मिकों के वेतन भत्तों का आहरण सहित समस्त कार्य उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से किये जाते हैं।
- 5.5 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निगम में कुल बिक्री 4962.29 करोड़ रुपए हुई जिसमें मार्जिन मनी 18.89 करोड़, अतिरिक्त मार्जिन मनी 35.52 करोड़ रुपए तथा अन्य आय 27.91 करोड़ रुपए मिलाकर कुल आय 82.32 करोड़ रुपए हुई तथा राज्य सरकार को 2.29 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस (आवेदन शुल्क सहित) एवं 25.00 करोड़ रुपए प्रिविलेज फीस, 5.00 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं 21.36 करोड़ रुपए प्रशासनिक एवं अन्य खर्च मिलाकर कुल 53.65 करोड़ रुपए का व्यय रहा। वर्ष 2016-17 में निगम का शुद्ध लाभ 28.67 करोड़ रुपए रहा।
- 5.6 वित्तीय वर्ष 2005-06 में निगम के 105 थोक विक्रेताओं की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 (दिसम्बर 17 तक) में निगम ने 40 निर्माताओं एवं लगभग 7241 खुदरा व्यापारियों से सीधे व्यवसाय किया है।
- 5.7 निगम के प्रारम्भिक वर्ष 2005-06 में बिक्री 734.19 करोड़ रुपए थी जो 2016-17 तक बढ़कर 4962.29 करोड़ रुपए हो गई तथा वर्ष 2017-18 (दिसम्बर 2017 तक) के दौरान बिक्री राशि 4323.95 करोड़ रुपए है।
- 5.8 वर्ष 2016-17 में राज्य के समस्त 33 जिलों में स्थित 40 डिपोज में 327 ब्राण्डों का विक्रय खुदरा अनुज्ञाधारियों को किया गया।
- 5.9 निगम के गोदाम में लॉडिंग-अनलॉडिंग कार्य अब स्थानीय मजदूरों से करवाने के स्थान पर ठेका पद्धति से करवाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त से निगम को राशि रु. 4.54 करोड़ की वार्षिक आय सम्भावित होगी।

डिपो की सूची

क्र.स.	जिले का नाम	डिपो की संख्या	डिपो का नाम
1	अजमेर	2	अजमेर घूघरा
			अजमेर माखूपुरा
2	अलवर	2	अलवर
			बहरोड़
3	बांसवाड़ा	1	बांसवाड़ा
4	बांरा	1	बांरा
5	बाडमेर	1	बाडमेर
6	भरतपुर	1	भरतपुर
7	भीलवाड़ा	1	भीलवाड़ा
8	बीकानेर	1	बीकानेर
9	बूंदी	1	बूंदी
10	चित्तौड़गढ़	1	चित्तौड़गढ़
11	चूरु	1	चूरु
12	दौसा	1	दौसा
13	धौलपुर	1	धौलपुर
14	डूंगरपुर	1	डूंगरपुर
15	हनुमानगढ़	1	हनुमानगढ़
16	जयपुर	4	जयपुर दुर्गापुरा
			जयपुर सीकर रोड़
			जयपुर जगतपुरा
			जयपुर भांकरोटा
17	जैसलमेर	1	जैसलमेर
18	जालौर	1	जालौर
19	झालावाड़	1	झालावाड़
20	झुन्झुनू	1	झुन्झुनू
21	जोधपुर	2	जोधपुर कुड़ी
			जोधपुर MIA
22	करौली	1	करौली
23	कोटा	1	कोटा
24	नागौर	1	नागौर
25	पाली	1	पाली
26	प्रतापगढ़	1	प्रतापगढ़
27	राजसमन्द	1	राजसमन्द
28	सवाईमाधोपुर	1	सवाईमाधोपुर
29	सीकर	1	सीकर
30	सिरोही	1	सिरोही
31	श्रीगंगानगर	1	श्रीगंगानगर
32	टोंक	1	टोंक
33	उदयपुर	2	उदयपुर बलीचा
			उदयपुर प्रतापनगर